7.4.25

पत्तावली वादी/वकील वादी के उपस्थित पर पुकारी गयी। तत्पश्चात वकील वादी द्वारा प्रस्तुत की गयी वादी/वकील वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर गौर किया गया है जिसमें वादी/वकील वादी द्वारा कथन किया गया है कि उक्त आवेदन को आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः उक्त आवेदन पत्र खारिज किया जाने हेतु प्रार्थना की गयी है।

वादी/वकील वादी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी/वकील वादी का उपरोक्त कथन एवं आवेदन पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी/वकील वादी द्वारा उक्त आवेदन पत्र को वापस लिया जाना है अतः पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Mobile
फ.सं. [illegible] (अंगूठा निशान)
अनु 2 दीर्घ
जानकीप्रसाद
शादीराम अनपढ़ का
शादीराम अनपढ़ अंक
Im
Fol
7/4/25
फ.सं. [illegible]
फ.सं. [illegible]
Fol